केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

दिनांक: 06.09.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/264
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00256
CICOM/R/2017/00752

अपीलकर्ता : श्री सतपाल शर्मा,
बी-229, फेस – 1, सेक्टर- 3,
द्वारका, नई दिल्ली – 110078.

निर्णय की तारीख : 06.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.01.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर.पी.ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	31.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	160538/31.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 25.01.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है तथा उल्लेख किया है कि उन्हें सूचना काफी विलम्ब से आधी अधूरी उपलब्ध करवाई गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 25.01.2017 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 27.01.2017 का डायराइज हुआ (डायरी सं. 105951) तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश इसे आयोग के आदेश सं. CIC/SA/A/2015/001886 से संबंधित लिंक पेपर समझ लिया गया एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेन्ट्रल रजिस्ट्री को अग्रसारित कर दिया गया । सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा उक्त आर.टी.आई.आवेदन दिनांक 21.06.2017 को आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया गया तथा दिनांक 19.07.2017 को श्री आर.पी.ग्रोवर द्वारा सूचना प्रदान की गई । **अपीलकर्ता को सूचना प्राप्ति में हुए विलम्ब को ध्यान में रखते हुए डाक अनुभाग, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1 एवं सेन्ट्रल रजिस्ट्री-2 को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में डाक की छंटाई एवं संबंधित अधिकारियों को डाक मार्किंग का कार्य यथाशीघ्र एवं ध्यान पूर्वक किया जाए ताकि आवेदक को सूचना मिलने में अनावश्यक विलम्ब न हो । आवेदक के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री आर.पी.ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के आदेश सं. CIC/SA/A/2015/001886 से संबंधित अनुपालना रिपोर्ट सहित उपलबध करवा दी गई है, अतः इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्रुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. डाक अनुभाग/सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1/सेन्ट्रल रजिस्ट्री-2 केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली

C.I.C. RECEIVED
07 SEP 2017
D. No.
Initials